

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
65, पानदरीबा, लखनऊ

पत्रांक: 1-10(1)/अनुपयुक्त/प्रशा0/एनएससी-लख0/2014-15

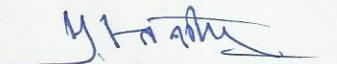
दिनांक 06.06.2014

निविदा सूचना

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम), (एस0एफ0सी0आई0) काशीपुर में उपलब्ध निम्न अनुपयुक्त अधोलिखित बीज की सूची के अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम लि0, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में अनुपयुक्त बीज बिक्री हेतु दिनांक 23.06.2014 को 13.00 बजे निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं उसी दिन अर्थात् 23.06.2014 को 14.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्रम सं०	अनुपयुक्त बीज	मात्रा (कु०)
1	सब्जी मटर -अर्किल (प्रमाणित)	1369.20
2	सब्जी मटर ए०पी०-3 (प्रमाणित)	1281.20
3	सोयाबीन पी० एस०-1042 (प्रमाणित)	3177.20
4	सोयाबीन पी० एस०- 1241 (प्रमाणित)	933.00
5	सोयाबीन पी० एस०-1092 (प्रमाणित)	46.80
6	सोयाबीन पी० एस० -1042 (आधारीय)	283.50
7	सोयाबीन पी० एस० -1347 (आधारीय)	114.50

2. विस्तृत जानकारी के लिये निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर लाग आन करे।


क्षेत्रीय प्रबंधक 16114

**नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
65, पानदरीबा, लखनऊ**

पत्रांक: 1-10(1)/अनुपयुक्त/प्रशा0/एनएससी-लख0/2014-15

दिनांक 06.06.2014

निविदा सूचना

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम), (एस0एफ0सी0आई0) काशीपुर में उपलब्ध निम्न अनुपयुक्त अधोलिखित बीज की सूची के अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम लि0, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में अनुपयुक्त बीज बिक्री हेतु दिनांक 23.06.2014 को 13.00 बजे निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं उसी दिन अर्थात् 23.06.2014 को 14.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

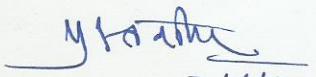
क्रम सं०	अनुपयुक्त बीज	मात्रा (कु०)
1	सब्जी मटर —अर्किल (प्रमाणित)	1369.20
2	सब्जी मटर ए0पी0-3 (प्रमाणित)	1281.20
3	सोयाबीन पी0 एस0-1042 (प्रमाणित)	3177.20
4	सोयाबीन पी0 एस0- 1241 (प्रमाणित)	933.00
5	सोयाबीन पी0 एस0-1092 (प्रमाणित)	46.80
6	सोयाबीन पी0 एस0 -1042 (आधारीय)	283.50
7	सोयाबीन पी0 एस0 -1347 (आधारीय)	114.50

निविदा के नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

- 1) बीज का सैम्पल क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
- 2) निविदा के साथ धरोहर राशी रु.26,000-00 का ड्राफ्ट लगाना आवश्यक है।
- 3) निविदा की दरें स्वीकृति नहीं होने की दशा में उच्चतम पथम, द्वितीय एवं तृतीय को छोड़कर, उनकी जमानत राशि का निविदा प्रक्रिया समाप्ति के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
- 4) स्वीकृत निविदा की जमानत राशि अंतिम भुगतान के समय समायोजित कर दी जायेगी। सफल निविदा दाता को निविदा खुलने के तीन दिवस के अंदर कुल राशी का 5% राशी जमा कराना आवश्यक है।
- 5) खरीदे गये अनुपयुक्त बीज पर 15 प्रतिशत निर्धारित ट्रेड टैक्स नियमानुसार देय होगा।
- 6) स्वीकृत निविदा दाता को अनुपयुक्त बीज की पूरी कीमत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में ड्राफ्ट/आरटीजीएस द्वारा जमा कर काशीपुर कार्यालय से ही अनुपयुक्त बीज उठाना होगा। 21 दिनों में माल नहीं उठाने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 7) अनुपयुक्त बीज को उठाने के लिए अपना साधन एवं बारदाना साथ में लाना होगा तथा गोदाम से माल उठाने का प्रबंध स्वयं करना होगा।
- 8) निविदादाता के द्वारा दी गई दरें 30 दिनों तक मान्य होगी।
- 9) उपरोक्त अनुपयुक्त बीज जहाँ है जिस हालत में है उठाना होगा।
- 10) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि0 का कोई भी कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य निविदा में किसी भी प्रकार से भाग लेने का अधिकारी नहीं है।

- 11) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि० को पूरा अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, और इस विषय में कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
- 12) निविदा सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद होता है तो ऐसी दशा में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नामित अधिकारी पूर्णतया मध्यस्त होंगे, और उनका निर्णय मान्य होगा।
- 13) उपरोक्त अनुपयुक्त बीजों को उठाने के लिए ₹0 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ-पत्र/वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि अनुपयुक्त बीज/माल विष उपचारित (Poison Treated) है, तथा यह मनुष्य एवं पशुओं इत्यादि के खाने के वर्जित है एवं इस माल का उपयोग अखाद्य सामग्री (Un-Fit for Human & Animal Consumption) के लिए प्रयोग किया जायेगा।

भवदीय,


क्षेत्रीय प्रबंधक 21/6/15